विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

सत्यमेव जयते

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

Ph.EPABX - 23063800, 23063802, 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in

F. No. 1(2)(1)/2014-MA Part

Dated the 10th March, 2016

OFFICE MEMORENDUM

Please find enclosed a Policy Circular of even no dated 10th March, 2016 relating to Relaxation of Norms for Startups and Micro & Small Enterprises in Public Procurement on Prior Experience – Prior Turnover criteria.

Publication Division is requested to take up the matter with Public Information Bureau to place this Policy Circular on the public domain.

Yours faithfully,

Encl : As above.

(U. C. Shukla)
Director(MA)
Tele: 23063363

1. Shri Harish Anand, Director (Pub), O/o DC(MSME)
2. Shri S V Sharma, Director (SENET) with a request to up load in – office website.
3. Information Officer, PIB, Room No 704A Shastri Bhawan, New Delhi.

404

Government of India
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
O/o the Development Commissioner (MSME)
Nirman Bhavan, A-Wing, 7th Floor
Maulana Azad Road,
New Delhi-110108
Tel. 011-23061091
Fax No.011-23060536

Policy Circular No. 1(2)(1)/2016-MA Dt. 10th March 2016

To

All Central Ministries/Departments/CPSUs/All Concerned

Subject: **Relaxation of Norms for Startups and Micro & Small Enterprises in Public Procurement on Prior Experience – Prior Turnover criteria.**

(1) The Government of India has notified Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012 with effect from 1st April, 2012 and 20% procurement from Micro & Small Enterprises of the total procurement by Central Ministries/Departments/CPSUs has become mandatory with effect from 1st April, 2015.

(2) The Government of India has announced 'Startup India' initiative for creating a conducive environment for Startups in India.

(3) The Startups are normally Micro and Small Enterprises which may not have a track record. These will have technical capability to deliver the goods and services as per prescribed technical & quality specifications, and may not be able to meet the qualification criterion relating to prior experience-prior turnover.

(4) In exercise of Para 16 of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order 2012, it is clarified that all Central Ministries/Departments/ Central Public Sector Undertakings may relax condition of prior turnover and prior experience with respect to Micro and Small Enterprises in all public procurements subject to meeting of quality and technical specifications.

(5) This issues with the approval of Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises.

10/3/16

(Surendra Nath Tripathi)
Additional Secretary & Development Commissioner-MSME
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises.

402

No.F.20/2/2014-PPD(Pt.)
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

516, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
Dated the 25th July, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Relaxation of Norms for Startups Medium Enterprises in Public Procurement regarding Prior Experience - Prior Turnover criteria.

The Government of India has announced 'Startup India' initiative for creating a conducive ecosystem for the growth of Startups in India. The Startups are defined in **Annexure-A** of the "Action Plan for Startups India". The same is available on the website of Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry.

2. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) vide Policy Circular No. 1(2)(1)/2016-MA dated 10th March, 2016 has clarified that all Central Ministries / Departments / Central Public Sector Undertakings (CPSUs) may relax condition of prior turnover and prior experience with respect of Micro & Small Enterprises (MSEs) in all public procurements subject to meeting of quality and technical specifications.

3. As per Rule 160(i)(a) of GFR, 2005, there is already a provision that the bidding document should contain criteria for eligibility and qualification to be met by the bidders such as minimum level of experience, past performance, technical capability, manufacturing facilities and financial position etc. In view of above, it is further clarified that all Central Ministries / Departments may relax condition of prior turnover and prior experience in public procurement to all Startups (whether MSEs or otherwise) subject to meeting of quality and technical specifications in accordance with the relevant provisions of GFR, 2005.

(Vinayak T. Likhar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel/Fax – 24621305
E-mail – vinayak.likhar@nic.in

To

The Secretaries of all Central Government Ministries/ Departments.

Copy to: -

Financial Advisors of all Central Government Ministries/ Departments.

40/

No.F.20/2/2014-PPD(Pt.)
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

516, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
Dated the 20th September, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Relaxation of Norms for Startups Medium Enterprises in Public Procurement regarding Prior Experience - Prior Turnover criteria.

The undersigned is directed to refer to this Department O.M. of even number dated 25th July, 2016, wherein it was clarified that all Central Ministries/ Departments *may* relax condition of prior turnover and prior experience in public procurement to all Start-ups [whether Micro & Small Enterprises (MSEs) or otherwise] subject to meeting of quality and technical specifications in accordance with the relevant provisions of GFR, 2005.

2. A doubt has arisen if it makes optional for Central Ministries/ Departments to relax condition of prior experience and prior turnover in public procurement to Startups. In this regard, it is again clarified that normally for all public procurement, the Central Ministries/ Departments have to ensure that criteria of prior turnover and prior experience for all Startups is relaxed subject to their meeting of quality and technical specifications.

3. However, there may be circumstances (like procurement of items related to public safety, health, critical security operations and equipments, etc.) where procuring entities may prefer the vendors to have prior experience rather than giving orders to new entities. For such procurements, wherever adequate justification exists, the procuring entities may not relax the criteria of prior experience/ turnover for the Startups.

4. This issues with the approval of Finance Secretary.

(Vinayak T. Likhar)
Under Secretary (PPD)
Tel/Fax – 24621305
E-mail – vinayak.likhar@nic.in

To

The Secretaries of all Central Government Ministries/ Departments.

Copy to: -

(i) Financial Advisors of all Central Government Ministries/ Departments.

(ii) The Secretary, Department of Public Enterprises, Room No.305, Block No.14, CGO Complex, New Delhi-110 003 with a request to issue appropriate instructions to Central Public Sector Undertakings (CPSUs) to implement #5 of "Action Plan for Startup India".

No.DPE/7(4)/2017-Fin.
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises
****

Public Enterprises Bhawan
Block No.14, CGO Complex
Lodhi Road, New
Delhi-110003

Dated 8th November, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Relaxation of Norms for Startups Medium Enterprises in Public Procurement Regarding Prior Experience-Prior Turnover criteria-reg.

The undersigned is directed to enclose herewith a copy of the O.M No F.20/2/2014-PPD(pt.) dated 20th September, 2016 along with a copy of OM bearing the same number dated 25th July, 2016 (with enclosure) on the above subject issued by Ministry of Finance, Department of Expenditure (Procurement Policy Division). All Ministries/Departments concerned are advised to direct their CPSEs to follow the directions mentioned therein for implementation.

2. This issues with the approval of Secretary, DPE.

Kalyani Mishra

(Kalyani Mishra)
Director
Tel.24362061

Encl: As above

1. All Secretaries of Administrative Ministries/Departments
2. All CMD of CPSEs
3. Ministry of Finance, Department of Expenditure w.r.t. Letter No. F.20/2/2014-PPD (Pt.) dated 20th September,2016
4. Sr. Director NIC with a request to up load in-office website of DPE

एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को ई0एम0डी0, कार्यानुभव व टर्न ओवर आदि से छूट प्रदान की गयी है।

3- इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-F.9/4/2020-PPD, दिनांक 12-11-2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अर्थव्यवस्था में मंदी के दृष्टिगत जेम पोर्टल् पर प्रचलित समस्त अनुबन्धों में सफल निविदादाता से ली जाने वाली परफारमेन्स सिक्युरिटी 5-10 प्रतिशत से घटाकर 03 प्रतिशत कर दिया गया है। यह व्यवस्था समस्त निविदाओं के लिये अनुमन्य है। ऐसे अनुबन्ध जो पहले से आर्बीट्रेशन/मा0 न्यायालय के विचाराधीन है, उनको इसका लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि परिस्थितिवश कुछ मामलों में परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत से अधिक लेना आवश्यक है, तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही अनुबन्ध को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अपवाद के औचित्यपूर्ण कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जेम पोर्टल पर सामग्री के क्रय/सेवाओं की आपूर्ति में निविदादाताओं से परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत लेने तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (उत्पाद एवं सेवा) तथा स्टार्टअप्स को निविदा सेट निःशुल्क उपलब्ध कराने, ई0एम0डी0, कार्यानुभव व टर्न ओवर से छूट प्रदान करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उक्त सीमा तक सामग्री क्रय/सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित समस्त सुसंगत शासनादेश संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
(5) सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(7) निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।
(8)निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
(9)वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No.F.20/2/2014-PPD(Pt.)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

516, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi the 25th July, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment to the Rule 170(i) of General Financial Rules (GFR), 2017.

The reference of Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) to exempt Startups from submitting Earnest Money Deposit (EMD) has been considered and it has been decided to revise the Rule 170(i) of GFRs, 2017 regarding **'Bid Security'** as under:

"Revised Rule 170 (i): *To safeguard against a bidder's withdrawing or altering its bid during the bid validity period in the case of advertised or limited tender enquiry, Bid Security (also known as Earnest Money) is to be obtained from the bidders except Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) or are registered with the Central Purchase Organisation or the concerned Ministry or Department* ***or Startups as recognised by Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP).*** *The bidders should be asked to furnish bid security along with their bids. Amount of bid security should ordinarily range between two percent to five percent of the estimated value of the goods to be procured. The amount of bid security should be determined accordingly by the Ministry or Department and indicated in the bidding documents. The bid security may be accepted in the form of Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee from any of the Commercial Banks or payment online in an acceptable form, safeguarding the purchaser's interest in all respects. The bid security is normally to remain valid for a period of forty-five days beyond the final bid validity period."*

2. This OM is also available on our website http://doe.gov.in -> Notification -> Circular --> Procurement Policy OM.

3. Hindi version of this OM will follow.

(Vinayak T. Likhar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.No.2462 1305.

To

All Secretaries & Financial Advisers of Ministries/ Departments of the Government of India.

संख्या-16/2021/233/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2021

विषयः-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेन्स सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन की आपूर्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-क-2/2019, दिनांक 18-12-2019, श्रम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18-8-2020 व उक्त सेवायें जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी.सी., दिनांक 25-8-2020 व संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 07-12-2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत आउटसोर्सिंग/सेवाओं की आपूर्ति विषयक विभिन्न शासनादेशों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सेवा क्षेत्र में ई0एम0डी0 से छूट प्रदान नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल0उ0)/2020, दिनांक 19-3-2020 द्वारा निर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति-2020 के प्रस्तर-4.2 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (उत्पाद एवं सेवा) को निविदा सेट निःशुल्क उपल्बध कराने तथा अग्रिम धन के भुगतान से छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के चैप्टर-6 के नियम-170 व भारत सरकार के परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA दिनांक 10-3-2016 तथा संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-20/2/2014-PPD(Pt), दिनांक 25-7-2017 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में जेम पोर्टल पर सूक्ष्म

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4455] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940
No. 4455] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2018

का.आ. 5670(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

1. (i) यह आदेश सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति संशोधन आदेश, 2018 कहा जाएगा।

   (ii) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. पूरे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) में जहां कहीं भी आंकड़े और शब्द "20 प्रतिशत" है उसे "25 प्रतिशत" के आंकड़े और शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 के पश्चात निम्नलिखित पैरा को जोड़ा जाएगा :-

   "4 क. महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष प्रावधान। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. 21(22)/2018-एमए]

राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव और विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2018

S.O. 5670(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following amendments to the Public Procurement Policy for the Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 namely :—

1. (i) This Order may be called the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Amendment Order, 2018.

   (ii) This shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Throughout the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, (hereinafter referred to as the said Order), for the figures and word "20 per cent", wherever they occur, the figures and word "25 per cent" shall be substituted.

3. After paragraph 4 of the said Order, the following paragraph shall be inserted, namely:-

   "4A. Special provision for Micro and Small Enterprise owned by women. Out of the total annual procurement from Micro and Small Enterprises, 3 per cent from within the 25 per cent target shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises owned by women.

[F. No. 21(22)-2018-MA]

RAM MOHAN MISHRA, Addl. Secy. & Development Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.10 08:53:57 +05'30'

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2021

विषयः-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेन्स सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन की आपूर्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-क-2/2019, दिनांक 18-12-2019, श्रम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18-8-2020 व उक्त सेवायें जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी.सी., दिनांक 25-8-2020 व संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 07-12-2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत आउटसोर्सिंग/सेवाओं की आपूर्ति विषयक विभिन्न शासनादेशों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सेवा क्षेत्र में ई0एम0डी0 से छूट प्रदान नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल0उ0)/2020, दिनांक 19-3-2020 द्वारा निर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति-2020 के प्रस्तर-4.2 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (उत्पाद एवं सेवा) को निविदा सेट नि:शुल्क उपलबध कराने तथा अग्रिम धन के भुगतान से छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के चैप्टर-6 के नियम-170 व भारत सरकार के परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA दिनांक 10-3-2016 तथा संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-20/2/2014-PPD(Pt), दिनांक 25-7-2017 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में जेम पोर्टल पर सूक्ष्म

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को ई0एम0डी0, कार्यानुभव व टर्न ओवर आदि से छूट प्रदान की गयी है।

3- इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-F.9/4/2020-PPD, दिनांक 12-11-2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अर्थव्यवस्था में मंदी के दृष्टिगत जेम पोर्टल् पर प्रचलित समस्त अनुबन्धों में सफल निविदादाता से ली जाने वाली परफारमेन्स सिक्युरिटी 5-10 प्रतिशत से घटाकर 03 प्रतिशत कर दिया गया है। यह व्यवस्था समस्त निविदाओं के लिये अनुमन्य है। ऐसे अनुबन्ध जो पहले से आर्बीट्रेशन/मा0 न्यायालय के विचाराधीन है, उनको इसका लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि परिस्थितिवश कुछ मामलों में परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत से अधिक लेना आवश्यक है, तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही अनुबन्ध को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अपवाद के औचित्यपूर्ण कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जेम पोर्टल पर सामग्री के क्रय/सेवाओं की आपूर्ति में निविदादाताओं से परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत लेने तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (उत्पाद एवं सेवा) तथा स्टार्टअप्स को निविदा सेट निःशुल्क उपलब्ध कराने, ई0एम0डी0, कार्यानुभव व टर्न ओवर से छूट प्रदान करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उक्त सीमा तक सामग्री क्रय/सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित समस्त सुसंगत शासनादेश संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
(5) सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(7) निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।
(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
(9) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।